कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः– 340 / 12-1 दिनॉकः देहरादून 8 अगस्त, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़–नाटाडोल मार्ग से सैम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.547 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या 15502/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का संख्या 8बी/यू.सी.पी/06/54/2021/एफ.सी./589 दिनांक 24.8.2021 ।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र **दिनांक 24.08.2021** के अनुपालन में आख्या/सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 1050/12–1 दिनांक 18.07.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.सं.	आपत्ति	आख्या
1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह लाभान्वित होने वाले समस्त habitation की existing मार्ग से दूरी एवं elevation, slove इत्यादि का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग से लाभान्वित होने वाली आबादी की पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से दूरी अलग–अलग स्थानों पर 100 मी०, 500मी व 1000 मी० हैं उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का elevation 2034 मी० है। समरेखण का ग्रेडिएन्ट 0.00–0.250 कि०मी० तक 1:24 के फाल, 0.250–0.475 कि०मी० तक 1:20 के फाल, 0.475–0.825 कि०मी० 1:24 के फाल, 0.825--1.050 कि०मी० तक 1:60 के राइज, 1.050–1.250 कि०मी० तक लेवल, 1.400–1.600 कि०मी० तक 1.60 के फाल, 1.600–1.700 कि०मी० तक लेवल, 1.700–1.750 कि०मी० तक 1:24 के फाल, 1.750--2.325 कि०मी० तक लेवल तथा 2.325–3.00 कि०मी० तक 1:20 के राइज में प्रस्तावित है।
2	के०एम०एल० फाईल के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मार्ग को सही से नहीं दर्शाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सही प्रस्तावित समरेखण को के०एम०एल० फाईल पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) पार्ट–। में अपलोड करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग की के०एम०एल० फाईल सही कर ऑनलाईन पार्ट । के C(ii) में अपलोड कर ली गयी है।
3	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह फलों, सब्जियों एवं अन्य Cash crops जो कि उक्त क्षेत्र में उत्पादित होते हैं, उनका ब्यौरा तथा क्षेत्र के लोगों का involvement कुल लाभ इत्यादि को संज्ञान में लेते हुए बिजे के साथ मार्ग का औचित्य प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय द्वारा जिला उद्यान कार्यालय से उक्त क्षेत्र में उत्पादित होने वाले उत्पादों के संबंध में अवगत कराने हेतु लिखा गया था, जिला उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उक्त क्षेत्र मे सेब, खुमानी, आड़ू, प्लम,

R.K PC

		आलू, गोबी, मटर, बीन्स, टमाटर, शिमलामिर्च का उत्पादन होता है। उक्त उत्पादन से ग्रामवासियों को सालाना 1 लाख से 1.50 लाख की आय होती है।
4	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मन्दिर पर tourist flow का ब्यौरा तथा मंदिर की existing मार्ग से दूरी की जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व निर्मित मार्ग से मन्दिर की दूरी लगभग 250 मी० है। उक्त मंदिर में सालाना 2 से 2.5 हजार लोग दर्शन हेतु पहुंचते हैं।
5	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह स्पष्ट करें कि क्या लाभान्वित होने वाले ग्राम एक ही ग्राम सभा के अन्तर्गत आते हैं? तथा इस क्षेत्र के समीपस्थ बाजार, सरकारी विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र की क्या स्थिति है, तथा इनकी स्थिति के०एम०एल० फाईल पर अंकित करने का कष्ट करें। साथ ही उक्त सभी की मगपेजपदह तवंक से दूरी की भी जानकारी प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि लाभान्वित होने वाले ग्राम एक ही ग्राम सभा नाटाडोल के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में समीपस्थ बाजार शहरफाटक है, जिसकी दूरी 9 कि०मी० सरकारी विद्यालय व प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र 6 कि०मी० दूरी पर स्थित है।
6	प्रस्ताव में 38 वृक्षों का पातन दर्शाया गया है, जिसमें से 9 sapling है किन्तु यह सम्भवतः 9 मी० चौड़ाई पर enumerate किये गये प्रतीत होते हैं। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह 7 मीटर चौड़ाई पर वृक्षों की गणना की सूची प्रेषित करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 7 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर ली गयी है। गणना सूची पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या 59 पर अपलोड कर ली गयी है।
7	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान में cash crop के transportation में आने वाली औसतन लागत, समय इत्यादि का संज्ञान लेते हुए मार्ग निर्माण से होने वाली बचत के संदर्भ में analysis कर विस्तृत जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा उत्पादित फसल सिर बोझ या घोड़ों की मदद से मोटर मार्ग तक पहुंचाया जाता है जिसमें गांव से मुख्य मार्ग तक एक गाड़ी माल ले जाने में लगभग 6 हजार रूपया एवं गाड़ी से मुख्य बाजार तक पहुंचने में वर्तमान में 12 हजार का व्यय होता है। इस मार्ग के बन जाने से ग्रामवासियों को सिरबोझ व घोड़ों पर होने वाला व्यय की बचत हो जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

<u>संख्या / 12-1 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

प्रति संलग्न (187)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 1020 /12–1 दिनांक 10/7/2024

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण/भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून 440
पत्रा० सं० 12-1
पत्रावली
दिनांक 23/7/24

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़–नाटाडोल मार्ग से सैम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.547 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या 15502/2015)

संदर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की पत्रांक संख्या 1644/7 सी० दिनांक 6.7.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्ताव विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी/06/54/2021/एफ.सी./589 दिनांक 24.8.2021 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों की आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	आपत्ति	आख्या
1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह लाभान्वित होने वाले समस्त habitation की existing मार्ग से दूरी एवं elevation, slove इत्यादि का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग से लाभान्वित होने वाली आबादी की पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से दूरी अलग–अलग स्थानों पर 100 मी०, 500मी व 1000 मी० हैं उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का elevation 2034 मी० है। समरेखण का ग्रेडिएन्ट 0.00–0.250 कि०मी० तक 1:24 के फाल, 0.250–0.475 कि०मी० तक 1:20 के फाल, 0.475–0.825 कि०मी० 1:24 के फाल, 0.825–1.050 कि०मी० तक 1:60 के राइज, 1.050–1.250 कि०मी० तक लेवल, 1.400–1.600 कि०मी० तक 1.60 के फाल, 1.600–1.700 कि०मी० तक लेवल, 1.700–1.750 कि०मी० तक 1:24 के फाल, 1.750–2.325 कि०मी० तक लेवल तथा 2.325–3.00 कि०मी० तक 1:20 के राइज में प्रस्तावित है।
2	के०एम०एल० फाईल के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि मार्ग को सही से नहीं दर्शाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सही प्रस्तावित समरेखण को के०एम०एल० फाईल पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) पार्ट–I में अपलोड करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग की के०एम०एल० फाईल सही कर ऑनलाईन पार्ट I के C(ii) में अपलोड कर ली गयी है।
3	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह फलों, सब्जियों एवं अन्य Cash crops जो कि उक्त क्षेत्र में उत्पादित होते हैं, उनका ब्यौरा तथा क्षेत्र के लोगों का involvement कुल लाभ इत्यादि को	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय द्वारा जिला उद्यान कार्यालय से उक्त क्षेत्र में उत्पादित होने वाले उत्पादों के संबंध में अवगत कराने हेतु लिखा

	संज्ञान में लेते हुए facts के साथ मार्ग का औचित्य प्रस्तुत करें।	गया था, जिला उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उक्त क्षेत्र मे सेब, खुमानी, आड़ू, प्लम, आलू, गोबी, मटर, बीन्स, टमाटर, शिमलामिर्च का उत्पादन होता है। उक्त उत्पादन से ग्रामवासियों को सालाना 1 लाख से 1.50 लाख की आय होती है।
4	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मन्दिर पर tourist flow का ब्यौरा तथा मंदिर की existing मार्ग से दूरी की जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व निर्मित मार्ग से मन्दिर की दूरी लगभग 250 मी० है। उक्त मंदिर में सालाना 2 से 2.5 हजार लोग दर्शन हेतु पहुंचते हैं।
5	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह स्पष्ट करें कि क्या लाभान्वित होने वाले ग्राम एक ही ग्राम सभा के अन्तर्गत आते हैं? तथा इस क्षेत्र के समीपस्थ बाजार, सरकारी विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र की क्या स्थिति है, तथा इनकी स्थिति के०एम०एल० फाईल पर अंकित करने का कष्ट करें। साथ ही उक्त सभी की existing road से दूरी की भी जानकारी प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि लाभान्वित होने वाले ग्राम एक ही ग्राम सभा नाटाडोल के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में समीपस्थ बाजार शहरफाटक है, जिसकी दूरी 9 कि०मी० सरकारी विद्यालय व प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र 6 कि०मी० दूरी पर स्थित है।
6	प्रस्ताव में 38 वृक्षों का पातन दर्शाया गया है, जिसमें से 9 sapling है किन्तु यह सम्भवतः 9 मी० चौड़ाई पर enumerate किये गये प्रतीत होते हैं। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह 7 मीटर चौड़ाई पर वृक्षों की गणना की सूची प्रेषित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 7 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर ली गयी है। गणना सूची पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु संख्या 59 पर अपलोड कर ली गयी है।
7	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान में cash crop के transportation में आने वाली औसतन लागत, समय इत्यादि का संज्ञान लेते हुए मार्ग निर्माण से होने वाली बचत के संदर्भ में analysis कर विस्तृत जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा उत्पादित फसल सिर बोझ या घोड़ों की मदद से मोटर मार्ग तक पहुंचाया जाता है जिसमें गांव से मुख्य मार्ग तक एक गाड़ी माल ले जाने में लगभग 6 हजार रूपया एवं गाड़ी से मुख्य बाज़ार तक पहुंचने में वर्तमान में 12 हजार का व्यय होता है। इस मार्ग के बन जाने से ग्रामवासियों को सिरबोझ व घोड़ों पर होने वाला व्यय की बचत हो जायेगी।

अतः आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक 340/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल